रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273996
CG-DL-E-02072026-273996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3372] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/आषाढ 9, 1948
No. 3372] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ASHADHA 9, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3507(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 10 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम (सीपीएसई) द्वारा व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) को संव्यवहार निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग हेतु अनिवार्य करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी करती है;

(i) सभी प्रचालनीय सीपीएसई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से माल या सेवाओं के उपापन के संबंध में चालानों, का निपटान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा।

परंतुक कि सीपीएसई द्वारा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालानों के भेजने को ऐसे चालानों की छूट को अनिवार्य करने के रूप में नहीं माना जाएगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ता के पास प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी प्राप्य रकम के वित्तपोषण या छूट का उपभोग प्राप्त करने या उपभोग न करने का विकल्प होगा;

(ii) सभी प्रचालनीय सीपीएसई या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण, निकाय या अस्तित्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार प्ररुप और रीति में, ट्रेड्स के माध्यम से भेजे गए और निपटान किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के चालानों का ब्यौरा प्रकट करेंगी;

(iii) सभी प्रचालनीय सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कानूनी लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें कि वे कम से कम किसी एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रीकृत हैं और उनकी वार्षिक कानूनी लेखापरीक्षा के दौरान इस अधिसूचना के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना करते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

[फा.सं. 16/8/2018/ई-पी एंड जी/नीति]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

S.O. 3507(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 10 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby issues the following instructions for mandating the use of Trade Receivables Discounting System (TReDS) as a transaction settlement platform by the Central Public Sector Enterprises (CPSEs);

(i) all operating CPSEs shall, in respect of procurement of goods or services from the micro, small and medium enterprises, route the settlement of invoices through any TReDS platform authorised by the Reserve Bank of India;

Provided that the routing of invoices by CPSEs through the TReDS platform shall not be construed as mandating discounting of such invoices and the micro, small and medium enterprise supplier shall have the option to avail or not avail financing or discounting of its receivables on the platform;

(ii) all operating CPSEs or any other authority, body or entity notified by the Central Government shall disclose the details of invoices of micro, small and medium enterprises routed and settled through TReDS, in the form and manner as specified by the Reserve Bank of India;

(iii) all operating CPSEs mandated to ensure a certificate from their statutory auditors that they are registered with at least one TReDS platform and are in compliance with guidelines of this notification, during their annual statutory audit.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/8/2018/E-P&G/Policy]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy. and Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.02 15:43:45 +05'30'